न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 55 / 2021

लक्ष्मण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष पेशा खेती, निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 31 / 2021 निर्णय दिनांक 09.07.2021

उपस्थितिः–

1 श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट ––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–– –––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 21.02.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम लक्ष्मण मु0नं0 31 / 2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध कानून व पत्रावली है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी हल्का के कोई बयान लिये तथा न ही अपीलांट को जवाब पेश करने का मौका दिया तथा ना ही मौके पर जाकर पटवारी हल्का ने किसी भी व्यक्ति के कोई बयान लिये, न ही मौका निरीक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति के पटवारी द्वा[illegible] न्यायालय हाजा द्वारा कोई बयान लिया गया, सिर्फ क्यास के आधार पर निर्णय किया गया [illegible] अपीलांट को जो नोटिस धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

राजस्व अधि॰का दिया गया उसमें अपीलांट द्वारा ग्राम पचेरी कलां भूमि खसरा नंबर 1291 रकबा 12.29 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड़ में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण प्रार्थी अपीलांट द्वारा 40 X 20 वर्गफीट पक्का अतिक्रमण व शेष में में छड़ी डालकर कब्जा किया जाना बताया गया जाकर अदालत मातहत द्वारा इस संबंध में प्रकरण संख्या 150/2019 दनांक 4.10.2019 को दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 24.10.2019 को किया गया। उस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू को पेश की जिसका अपील नंबर 49/2019 उनवानी लक्ष्मण सिंह बनाम राज0 सरकार था तथा जिसका निर्णय 19.04.2021 को हुआ था जिसमें अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 24.10. 2019 को उनवानी मुकदमा सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह मु0 नं0 150/2019 में पारित निर्णय को निरस्त कर दिया था तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की गई थी कि विवादित भूमि का तहसीलदार बुहाना स्वयं मौका मुआयना कर राज्य सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व रिकार्ड आदि का परीक्षण कर अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत कनेक्शन आदि की जांच कर अगर नियमन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं है तो नियमन की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही करें। किन्तु इस निर्णय के बावजूद भी स्वयं तहसीलदार बुहाना न तो मौके पर गये, न कोई जांच की, न प्रार्थी के कब्जे के संबंध में जांच की, न ही कोई मौके पर बयान लिये तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौके पर कब्जे संबंध में दिये गये कागजात विद्युत, पानी के बिल आदि का बिना अवलोकन किये ही निर्णय पारित कर दिया जो विरूद्ध कानून व पत्रावली है।

अपीलांट का आगे अपील में कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ था इस भूमि पर पहले प्रार्थी के पिता का व अब प्रार्थी अपीलांट का गत 50 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट ने विद्युत व पानी के कनेक्शन भी ले रखे हैं। अपीलांट की इस भूमि के चारों तरफ सैकडों मकान व दुकान है, काफी दूरी में आबादी बसी हुई है। अन्य दुकान हैं जिनका पूर्व में नियमन हुआ है। यही नहीं इस विवादित भूखण्ड के संबंध में स[illegible]लदार बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 350/18 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह धारा [illegible] ल.रे.एक्ट 1956 के तहत आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 28.3.2019 को पारित कर इस जमीन को पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन मानकर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की थी उसके बावजूद पुनः अपीलांट के विरूद्ध इस विवादित भूखण्ड आदि अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के कब्जेशुदा भूमि के नियमन की कार्यवाही की जानी थी तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर आयोजित विभिन्न शिविरों में 2018 के पूर्व के कब्जे को नियमन करने के आदेश जारी किये थे। अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर अपीलांट को बिना सुने व अपीलांट के कब्जे के संबंध में प्रस्तुत कागजात को नजर अंदाज करते हुये निर्णय में कोई हवाला नहीं देते हुये आदेश पारित किया है। जो स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है। अंत में अपील पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 09.7.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी हल्का के कोई बयान लिये तथा न ही अपीलांट को जवाब पेश करने का मौका दिया तथा ना ही मौके पर जाकर पटवारी हल्का ने किसी भी व्यक्ति के कोई बयान लिये, न ही मौका निरीक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति के पटवारी द्वारा अथवा न्यायालय हाजा द्वारा कोई बयान लिया गया, सिर्फ क्यास के आधार पर निर्णय किया गया है। अपीलांट को जो नोटिस धारा 91 राजस्व अधि का दिया गया उसमें अपीलांट द्वारा ग्राम पचेरी कलां भूमि खसरा नंबर 1291 रकबा 12.29 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड़ में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण प्रार्थी अपीलांट द्वारा 40 X 20 वर्गफीट पक्का अतिक्रमण व शेष में में छड़ी डालकर कब्जा किया जाना बताया गया था तथा इस सम्ब[illegible]हत अदालत द्वारा इस संबंध में मामला संख्या 150/19 दर्ज कर दिनांक 04.10.2019 [illegible] किया जाकर निर्णय दिनांक 24.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested

2019 को किया गया। उस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू को पेश की जिसका अपील नंबर 49/2019 उनवानी लक्ष्मण सिंह बनाम राज0 सरकार था तथा जिसका निर्णय 19.04.2021 को हुआ था जिसमें अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 24.10.2019 को उनवानी मुकदमा सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह मु0 नं0 150/2019 में पारित निर्णय को निरस्त कर दिया था तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की गई थी कि विवादित भूमि का तहसीलदार बुहाना स्वयं मौका मुआयना कर राज्य सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व रिकार्ड आदि का परीक्षण कर अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत कनेक्शन आदि की जांच कर अगर नियमन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं है तो नियमन की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही करें। किन्तु इस निर्णय के बावजूद भी स्वयं तहसीलदार बुहाना न तो मौके पर गये, न कोई जांच की, न प्रार्थी के कब्जे के संबंध में जांच की, न ही कोई मौके पर बयान लिये तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौके पर कब्जे संबंध में दिये गये कागजात विद्युत, पानी के बिल आदि का बिना अवलोकन किये ही निर्णय पारित कर दिया जो विरूद्ध कानून व पत्रावली है।

अपीलांट का आगे अपील में कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ था इस भूमि पर पहले प्रार्थी के पिता का व अब प्रार्थी अपीलांट का गत 50 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट ने विद्युत व पानी के कनेक्शन भी ले रखे हैं। अपीलांट की इस भूमि के चारों तरफ सैकडों मकान व दुकान है, काफी दूरी में आबादी बसी हुई है। अन्य दुकान हैं जिनका पूर्व में नियमन हुआ है। यही नहीं इस विवादित भूखण्ड के संबंध में स्वयं तहसीलदार बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 350/18 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह धारा 91 लै.रे.एक्ट 1956 के तहत आदेश दिनांक 28.3.2019 को पारित कर इस जमीन को पीडब्ल्यूडी की जमीन मानकर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की थी उसके बावजूद पुनः अपीलांट के विरूद्ध इस विवादित भूखण्ड आदि अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिने में कानूनी भूल की है। अदालत [illegible] कब्जेशुदा भूमि के नियमन की कार्यवाही की जानी थी तथा राज्य [illegible] जारी कर आयोजित विभिन्न शिविरों में 2018 के पूर्व [illegible] आदेश जारी किये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested

अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर अपीलांट को बिना सुने व अपीलांट के कब्जे के संबंध में प्रस्तुत कागजात को नजर अंदाज करते हुये निर्णय में कोई हवाला नहीं देते हुये आदेश पारित किया है। जो स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है। अंत में अपील पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 09.7.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम पचेरी कलां में राजकीय भूमि खसरा जमीन हाल खसरा नंबर 1291 रकबा 12.29 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ तथा कथित रूप से 0.02 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने अतिक्रमण स्थल से अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रकरण पूर्ण में रिमाण्ड हो चुका है। तहसीलदार बुहाना द्वारा भू0 अ0 निरीक्षक पचेरीकला व हल्का पटवारी पचेरीकलां के साथ दिनांक 14.6.2021 को ग्राम पंचेरीकला के खसरा नंबर 1291 में अतिक्रमण स्थल को मौका निरीक्षण किया जाना अपने निर्णय में अंकित किया गया है। मौका निरीक्षण करने पर अपीलांट लक्ष्मण सिंह द्वारा सड़के के समीप पश्चिम दिशा में नया अतिक्रमण वर्ष 2018 से करना बताया है तथा बिजली पानी के बिल भी वर्ष 2018 के बाद के प्रस्तुत करना बताया है। पुराने अतिक्रमण के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलांट को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसमें मेरी राय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह मु0नं0 31/2021 यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील अपना दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested